राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 (बिन्दु संख्या 83) के अन्तर्गत दायर अपील सख्यां 02/2015–16

मैसर्स जगदीश प्रसाद शर्मा, कोटा

बनाम

मुख्य अभियन्ता, जल ससांधन सम्भाग, कोटा

निर्णय

दिनांक :– 08.10.2015

मैसर्स जगदीश प्रसाद शर्मा, कोटा ने पत्र दिनांक 09.09.2015 से, मुख्य अभियन्ता, जल ससांधन सम्भाग, कोटा की सक्षमता के अधीन अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन वृत, झालावाड द्वारा आमन्त्रित निविदा सूचना संख्या 03 वर्ष 2015–16 के निम्न कार्य की निविदा में भाग लिया गया।

" Tender for the work of construction of Lalgoan Anicut on River Richhar near village Lalgoan PS Sunel "

कार्य की तकनिकी बिड मे तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मैसर्स जगदीश प्रसाद शर्मा, कोटा को अयोग्य धोषित किये जाने के निर्णय के विरूद्व संवेदक द्वारा राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अन्तर्गत अपील प्राधिकारी शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के समक्ष अपील दायर की एवं नियमानुसार फीस राशि रूपये 2500/– फीस(डी.डी.स. 688174) जमा करवाई गई।

1. अपीलार्थी द्वारा अपील दायर कर निम्नानुसार प्रार्थना की है :–

1. प्रार्थी को निर्माण कार्य " Const. of Barrel on Ramnagar nallah from Shahbad road DRB to Banganga river confluence point under Baran Flood Protection scheme" अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रथम, बांरा के पत्रांक 4317–26 दिनांक 22.01.2015 द्वारा राशि रू. 238.16 लाख का कार्यादेश जारी किया गया था। कार्यादेश के अनुसार उक्त कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति की दिनांक कमशः 01.02.2015 एवं 31.07.2015 नियत थी। उक्त निर्माण कार्य PHED की पाईप लाईन एवं JVVNL की लाईन के Shifting कार्य को किये बिना सम्पादित किया जाना सम्भव नही है। जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त दोनो विभागो को लाईने shift किये जाने हेतु उनकी डिमाण्ड के अनुसार राशि का भुगतान किये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा अपनी–अपनी लाईने आज दिनांक तक भी Shift नही की गई है। उक्त लाईने Shift होने के उपरान्त ही उक्त कार्य सम्पादित किया जाना सम्भव है इसके साक्ष्य हेतु अधिशाषी अभियन्ता की रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है।
2. तकनीकी बिड में मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 27.08.2015 में उक्त कार्य प्रार्थी के हाथ में होने को आधार मानते हुये हमारी फर्म को बिड केपेसिटी में अयोग्य धोषित किया गया है।
3. उक्त क्रम में निवेदन है कि यदि विभाग द्वारा हमे चाल दी गई होती तो हमारे द्वारा आवंटित कार्य को, कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 31.07.2015 तक पूर्ण कर दिया जाता। कार्य सम्पादन में बाधक PHED की पाईप लाईन एवं JVVNL की लाईन के Shifting कार्य पूर्ण हुये बिना उक्त कार्य सम्पादित किया जाना सम्भव ही नही है। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल पर निर्मित पक्के मकानों को हटाया जाना अतिआवश्यक है परन्तु नगर निगम द्वारा अभी तक मुआवजा भुगतान की कार्यवाही प्रारम्भ ही नही की गई है।

4. उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कार्यस्थल उपलब्ध नही होने के कारण यह कार्य अभी भी लम्बे समय तक प्रारम्भ करवाया जाना सम्भव ही नही है। ऐसे स्थिति में उक्त कार्य को Work in Hand मानते हुये बिड केपेसिटी से उक्त कार्य की राशि को कम कर, तकनीकी बिड में मूल्यांकन समिति द्वारा बिड केपेसिटी में हमारी फर्म को अयोग्य धोषित किया जाना हमारे साथ अन्याय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व है।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर बिड कैपेसिटी की Work in Hand की राशि को Null & void मानते हुये योग्य धोषित किये जाने का निवेदन किया गया है।

उक्त के सबंध मे मुख्य अभियन्ता जल संसाधन संभाग कोटा ने अवगत कराया है कि उक्त निविदा की तकनीकी बिड मूल्यांकन समिति ने अपनी बैठक दिनांक 27.08.2015 में निविदा में शामिल मैसर्स जगदीश प्रसाद शर्मा, कोटा की तकनीकी योग्यता के सम्बन्ध में तकनीकी बिड के क्लॉज–3.9 के अनुसार संवेदक द्वारा प्रपत्र 4 में Committed Liabilities राशि रू. 238.16 लाख (कार्य Baran Flood Protection scheme) नही दर्शाई गई, जबकि उक्त क्लॉज के अनुसार संवेदक को अपनी पूर्ण Committed Liabilities प्रपत्र 4 में दर्शानी थी। उपरोक्त राशि रू. 238.16 लाख की Committed Liabilities को शामिल करने पर संवेदक की बिड केपेसिटी नही रहने के कारण संवेदक को अयोग्य धोषित किया गया है।

2. **अपील के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये अभिलेख/साक्ष्यों के परिक्षण उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि** मैसर्स जगदीश प्रसाद शर्मा, कोटा द्वारा तकनीकी बिड के क्लॉज–3.9 के अनुसार संवेदक द्वारा प्रपत्र 4 में Committed Liabilities राशि रू. 238.16 लाख (कार्य Baran Flood Protection scheme) नही दर्शाई गई, जबकि उक्त क्लॉज के अनुसार संवेदक को अपनी पूर्ण Committed Liabilities प्रपत्र 4 में दर्शानी थी। उपरोक्त राशि रू. 238.16 लाख की Committed Liabilities को शामिल करने पर संवेदक की Balance Bid Capacity तकनीकी योग्यता मापदण्डो के अनुसार नही रहने के कारण, संवेदक को अयोग्य धोषित किया गया है।

अतः अपीलार्थी मैसर्स जगदीश प्रसाद शर्मा, कोटा द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील निरस्त की जाती है।

28.X.15

(अजिताभ शर्मा)
प्रथम अपील अधिकारी
शासन सचिव
जल संसाधन विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांक F.2(99)ASI/15 / 4308 — 4311 दिनांक :– 29/10/2015

निर्णय की प्रति निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :–

1. मुख्य अभियन्ता, जल ससांधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, जल ससांधन सम्भाग, कोटा।
3. मैसर्स जगदीश प्रसाद शर्मा, कोटा, गली नम्बर–6, 9– सरस्वती कॉलोनी, बांरा रोड, कोटा–324001
4. अधीक्षण अभियन्ता PMU जल संसाधन जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्णय तत्काल राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रदर्शित करवाया जावे।

28.X.15

(अजिताभ शर्मा)
प्रथम अपील अधिकारी
शासन सचिव
जल संसाधन विभाग
राजस्थान जयपुर

ADU(T)